



बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 11 नि० गो० वि० (01)- 17/2017

दिनांक - 2018

आदेश

06.04.2018 दोनों आरोपित कर्मों (श्री बलराम राय और श्री उमेश कुमार पांडेय) और प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी (श्री सत्येन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी-11) उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से गठित आरोपों एवं आरोपितों द्वारा समर्पित बचाव बयान के संबंध में मंतव्य की पुनः अपेक्षा की गई।

उक्त आलोक में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का कथन है कि पशुपालन निदेशालय द्वारा गठित आरोप पत्र संबंधित साक्ष्यों के आधार पर सही प्रतीत होता है।

आरोपित कर्मियों द्वारा दिनांक-28.03.2018 को दिये गये निदेश के आलोक में पूरक बचाव बयान देते हुए प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में पुनः अपना जबाब देने की बात की गयी है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा पूरक बचाव बयान की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई। जिसे स्वीकार कर उन्हें हाथो हाथ पूरक बचाव बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए सुनवाई की अगली तिथि को अपना मंतव्य समर्पित करने का निदेश दिया गया।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-17.04.2018 को निर्धारित की गई।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० कृष्णकांत कुमार)

उप निदेशक (मु०) -सह-

जाँच पदाधिकारी,

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-11 नि० गो० वि० 01-17/2017 1168 (170) पटना-15, दिनांक-06/04/2018

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री सत्येन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-11 प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री बलराम राय, निलंबित, सहायक चारा विकास पदाधिकारी, बेतिया मुख्यालय, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर एवं श्री उमेश कुमार पाण्डेय, निलंबित सहायक चारा विकास पदाधिकारी, बेतिया मुख्यालय, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड/ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(Signature)
6/4/2018

उप निदेशक (मु०) -सह-

जाँच पदाधिकारी,

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।